

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3 Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1732] No. 1732] नई दिल्ली, सोमवार, जून 10, 2019/ज्येष्ठ 20, 1941

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 10, 2019/JYAISTHA 20, 1941

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 2019

का.आ. 1937(अ).—राष्ट्रपित, केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 (2003 का 45) की धारा 10 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री शरद कुमार, सतर्कता आयुक्त, केन्द्रीय सतर्कता आयोग को श्री के.वी. चौधरी, केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त की पदाविध पूरी होने के कारण हुई रिक्ति पर, तारीख़ 10 जून, 2019 से केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति होने तक, केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

[फा.सं. 399/7/2019-एवीडी-III]

लोक रंजन, अपर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th June, 2019

S.O. 1937(E).—In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of Section 10 of the Central Vigilance Commission Act, 2003 (45 of 2003), the President is pleased to authorize Shri Sharad Kumar, Vigilance 2825 GI/2019

(1)

Commissioner, Central Vigilance Commission, to act as the Central Vigilance Commissioner, in the vacancy caused due to completion of the tenure of Shri K.V. Chowdary, Central Vigilance Commissioner, with effect from the 10th day of June, 2019, until the appointment of the Central Vigilance Commissioner.

[F. No. 399/7/2019-AVD-III] LOK RANJAN, Addl. Secy.